न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर राज.

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण , आर.ए.एस.

मु.न. 40 / 19	प्रवेश तिथि 01.05.2019	निर्णय तिथि 01.02.2022

उनवान

1. बचनकौर पत्नि सतनाम सिह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर
2. शारदा पत्नि अमृत लाल जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशगनढबास जिला अलवर
3. सरिता पत्नि कैलाशचन्द जाति जाटव निवासी नंगला माधोपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

:– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढबास जिला अलवर
2. अधिक्षण अभियन्ता ,सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड अलवर जिला अलवर
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग किशनगढबास जिला अलवर

:– प्रतिवादी

4. मक्खन सिह
5. जंगीरसिह
6. नायब सिह
7. जोगेन्द्र सिह
8. महेन्द्र सिह पुत्रान मुंशी जाति रायसिख निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
9. हरबन्श सिह
10. जगदीश सिह
11. ओमसिह
12. गोपालसिह
13. मनोहरसिह पुत्रान इन्द्रर सिह जाति रायसिख निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
14. अर्जनसिह
15. जरनैल सिह
16. सुरेन्द्र सिह पुत्रान बाकरसिह जाति रायसिख निवासी दोहडा तहसील किशगनढबास जिला अलवर

:– तर प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88,89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

....

उपस्थिति:–

0. वादीगण की और से स्वयं
0. प्रतिवादी सख्या 1 की और से पैरोकार सरकार
0. श्री धर्मपाल यादव प्रतिवादी सख्या 2 की और से।
0. श्री खेमचन्द धामाणी वकील तर.प्रतिवादीगण की और से।

—:निर्णय :—

वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है— वकील वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा जिसके साबिक आराजी खसरा नम्बर 283 मिन रकबा 0—05 बिस्वा 303 मिन रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा , 282 रकबा 0—03 बिस्वा वाके ग्राम दोहडा कायम है। वाद के जैर कार रहते हुए वाद मे संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। जिसके अनुसार आराजी उक्त खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मे से 0.075 है वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास जर्ये इकरारनामा दिनांक 17.11.2021 के द्वारा मिन वादीगण बचनकौर पत्नि सतनाम सिह जाति रायसिख निवासी शेखपुर तहसील किशनगढबास , शारदा पत्नि अमृत लाल निवासी दोहडा , सरीता पत्नि कैलाश जाति जाटव निवासी नंगला माधोपुर तहसील कठूमर द्वारा कय की गई । जो वर्तमान वाद मे आवंटी मुंशीसिह , इन्दर सिह ,बाकरसिह पि0 जेठासिह के वारिसान है कय के आधार पर आराजी उक्त पर काबिज है। आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मे से 0.075 हे. पर वर्तमान मे कब्जा काश्त है जो मिन वादीगण द्वारा सम्भाग जर्ये इकरारनामा दिनांक 17.11.2021 के कय किया है वक्त खरीद से आराजी उक्त के 0.075 हे. सम्भाग पर मिन वादीगण का कब्जा है प्रतिवादीगण को कोई सम्बन्ध वो सरोकार नही है।

वर्तमान मे राजस्व ग्रुप —6 के नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 प्रभावी है। प्रकरण मे आराजी उक्त को आवंटी के विधिक वारिसान द्वारा मिन वादीगण को सम्भाग को विकय किया है जिसके आधार पर हम वादीगण काबिज है इसलिए प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण की श्रेणी का है हम वादीगण कब्जा श्रीमान न्यायालय मे आराजी उक्त पर सिद्व करा नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर हकूक खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिए मिन वादीगण को 0.075 हे. की जद तक खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के आदेश पारित करने के आदेश फरमावे।

राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी 2 व 3 जो सार्वजनिक निर्माण विभाग है का हाल राजस्व रिकार्ड मे भू. प्रबन्ध द्वारा गलत रूप से दर्ज कर दिया है हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा हाल वाद मे वादीगण के पिता को आवंटीत हुई थी। जिसके साबिक खसरा नम्बर 283 मिन रकबा 0—05 एवं 282 मिन रकबा 0—03 बिस्वा जो साबिक रिकार्ड मे गै0 मु0 सडक दर्ज है सिर्फ 0—08 बिस्वा पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अमल होना चाहिए जबकी उक्त साबिक 283 मिन एवं 282 मिन की आढ मे साबिक खसरा नम्बर 303 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया । जिसे अंकन को भू. प्रबन्ध विभाग को दर्ज करने का कोई हक वो अधिकार हासिल नही था। विकेतागण के पिता जो आराजी उक्त के आवंटी है के द्वारा आराजी विवादित पर ततसमय ज्वार एवं बाजरा की फसल काश्त की है तथा किस्म को ढहरी प्रथम दर्ज किया गया। जिसका अंकन आवंटन पत्र खसरा नम्बर 32 किस्म ढहरी प्रथम मुन्शीसिह , इन्दरसिह पि. जेठासिह दर्ज है भूमि किमत भी आवंटी द्वारा जमा कराई गई। राजस्व रिकार्ड मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अमल गलत है 0.075 हे. तक हजफ किये जाने योग्य है । इसलिए वाद वादीगण पेश करना लाजिम आया है।

अत: प्रार्थना है कि :—

1. वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे कि वादीगण आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. वाके ग्राम दोहडा तहसील किशगनढबास काबिज काश्तकार है तथा जर्ये इकरारनामा दिनांक 17.11.2021 के द्वारा वादीगण द्वारा आराजी उक्त को सम्भाग कय किया है मौके पर कब्जा काश्त है इसलिए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है एवं इसी कदर राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने के अधिकारी है। तथा प्रतिवादी

सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम को जो अंकन हो रहा है उसे 0.075 हे. तक हजफ कराने के अधिकारी है। इसी कदर की वाद वादीगण डिकी करार दिया जावे।

1. अन्य दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान उचित समझे अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने दिनांक 15.01.2020 को कोई राजहीत प्रभावित नही होना वाद पत्र के आदेशित पर अंकित किया। तथा प्रतिवादी सख्या 2 व 3 ने जबाब पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे0 वाके ग्राम दोहडा तहसील किशगनढबास सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड मे अमल हो रहा है। वादीगण गैर काबिज वो गैर वास्ता आराजी है वो बिना किसी कब्जा के वादीगण कोई दादरसी पाने के अधिकारी नही है इसलिए वाद वादीगण खारिज किया जावे। वाद मे आवश्यक साक्ष्य सबूत पेश होकर वाद के जेरकार रहते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी. स्वीकार किये जाने पर संशोधित वाद पत्र पेश किया। चूंकी वाद मे आवश्यक साक्ष्य सबूत पेश किये जा चुके है। तनकीयात संशोधित वाद पत्र के आधार पर कायम की गई । जो निम्न प्रकार से है:–

तनकी नम्बर 1:– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दोहडा मुन्शीसिह , इन्दरसिह , बाकरसिह की समभाग अलौटशुद्वा कब्जा काश्त की आराजी है।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 2:– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ढहरी प्रथम दिनांक 01.01.1976 को आवंटी मुन्शीसिह, इन्दरसिह , बाकरसिह को गरीब होने कारण तत्कालील तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा आवंटित की गई थी।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 3:– आया क्या आवंटन आदेश दिनांक 01.01.1976 को कही किसी समक्ष न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया ।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 4:– आया आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. वाके ग्राम दोहडा वादीगण की कय शुद्वा कब्जे काश्त की आराजी है ।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 5 :– आया आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. पर प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम के अंकन हो कलमजन करा खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 6:– आया विवादित आराजी उक्त पर वाद वादीगण काबिले खारिज है ।

:– जिम्मे प्रतिवादी

वकील वादीगण ने वाद मे आवश्यक साक्ष्य सबूत पूर्व मे पेश किये जा चुके है हमने बहस वादीगण एवं वकील प्रतिवादी की सुनी गई। वादीगण ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादीगण को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:–

तनकी नम्बर 1:– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दोहडा मुन्शीसिह , इन्दरसिह , बाकरसिह की समभाग अलौटशुद्वा कब्जा काश्त की आराजी है। इस तनकी का भार वादीगण पर है। प्रदर्श 3 जो नकल आवंटन प्रोस्डिग रजिस्टर 01.01.1976 है के अनुसार वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास मे मुन्शीसिह पुत्र जेठासिह , इन्दरसिह पुत्र जेठासिह दोहडा समभाग आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का आवंटन हुआ है। मिलान

क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दोहडा का साबिक खसरा नम्बर 283 मी. रकबा 0–05 बिस्वा , 303 मी.रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा , 282 मी. रकबा 0–03 बिस्वा से बना है जिसका अमल भू. प्रबन्ध खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 मे हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 1बीघा 11 बिस्वा ढहरी प्रथम का अंकन गिरदावरी के कालम सख्या 3 मे हो रहा है जिसके साबिक आराजी का विवरण अंकित करते हुए आवंटी द्वारा ज्वार एवं बाजरा की फसल किये जाने का अंकन राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है । तथा प्रदर्श 6 जो आवंटन लेजर है जिसमे हाल आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ढहरी प्रथम का आवंटन मुन्शीसिह ,इन्द्ररसिह पुत्रान जेठासिह को आवटन होना पाया जाता है जिसमे आवंटी द्वारा किमत जमा कराने का विवरण भी अंकित लेजर है। जिससे यह कहा जा सकता है कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11बिस्वा मुन्शीसिह , इन्दरसिह पुत्रान जेठासिह की आवंटीत आराजी है। इसलिए यह तनकी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2:– आया विवादित आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा ढहरी प्रथम दिनांक 01.01.1976 को आवंटी मुन्शीसिह, इन्दरसिह , बाकरसिह को गरीब होने कारण तत्कालील तहसीलदार कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा आवंटित की गई थी। इस तनकी का भार वादीगण पर है जैसा की तनकी नम्बर मे उल्लेखित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मुन्शीसिह , इन्द्ररसिह पुत्रान जेठासिह का समभाग भाग को आवंटन किया गया है। तथा बाद आावंटन आवंटी द्वारा ज्वार एवं बाजरा की फसल भी आवंटी द्वारा किये जाने का उल्लेख दर्ज खसरा गिरदावरी सम्वत 2029 मे दर्ज है। इसलिए यह कहा जा सकता है आराजी उक्त आवंटी मुन्शीसिह वैगराकी आवंटन की आराजी है इसलिए तनकी नम्बर 1 के अनुसार यह तनकी भी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 3:– आया क्या आवंटन आदेश दिनांक 01.01.1976 को कही किसी समक्ष न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया । इस तनकी का भार भी वादीगण पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 व 2 मे वर्णित किया गया है विवादित आराजी उक्त मुन्शीसिह वैगरा की आंवटीत आराजी है प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य वाद के साथ पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके की उक्त आवंटित आराजी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। इसलिए यह तनकी भी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

:– जिम्मे जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 4:– आया आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. वाके ग्राम दोहडा वादीगण की कय शुद्दा कब्जे काश्त की आराजी है । इस तनकी का भार वादीगण पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 व 2 मे वर्णित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा मुन्शीसिह वैगरा को तहसीलदार कम मैनेजिग आफिसर किशनगढबास द्वारा आवंटन किया गया है जिसके साबिक खसरा नम्बर 283 मी. रकबा 0–05 बिस्वा, 303 मी. रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा एवं 282 मी रकबा 03 बिस्वा बना है साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2017 है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 283 रकबा 03 बिस्वा 09 बिस्वा , 312/282 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा गैर मु0 सडक एवं साबिक खसरा नम्बर 303 रकबा 79 बीघा 08 बिस्वा गैर मु0 पहाड दर्ज राजस्व रिकार्ड है। यहा यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि हाल खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम दोहडा मे साबिक खसरा नम्बर 283 का रकबा 0–05 बिस्वा एवं 282 का रकबा 0–03 बिस्वा यानि की कुल रकबा 0–08 बिस्वा गैर मु0 सडक है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम होना चाहिए तथा साबिक खसरा नम्बर 303 जो साबिक रिकार्ड मे पहाड दर्ज है जिससे सक्षम आदेश से किस्म परिवर्तन कर ढहरी प्रथम किया गया । जिसका अंकन बाखूबी राजस्व रिकार्ड सम्वत 2029 की खसरा गिरदारी से ताहाल रिकार्ड मे चला आ रह है। और बाद किस्म परिर्वतन ही आराजी उक्त 32 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का आवंटन

मुन्शीसिह बैगरा जो वाद मे तर. प्रतिवादीगण के पिता है को आवंटन हुआ है। यहा यह भी की साबिक रिकार्ड 282 एव 283 मे सार्वजनिक निर्माण 0–08 बिस्वा पर गैर मु0 सडक दर्ज है जिसके आधार पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम का अंकन मात्र 0–08 बिस्वा पर ही होना चाहिए । जबकी भू. प्रबन्ध के बाद तैयार जमाबन्दीया मे सार्वजनिक निर्माण विभाग का नाम का अंकन पूर्ण 1 बीघा 11 बिस्वा पर कर दिया जो न्याय एवं विधि के सिद्वान्तो के विपरित किया है मूल आवंटी मुन्शीसिह बैगरा के वारिसान जो वाद मे तर. प्रतिवादीगण है के द्वारा जर्ये इकरारनामा दिनांक 17.11.2021 के द्वारा विक्रेय वादीगण को किया है रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. वाके ग्राम दोहडा तहसील किशनगढबास पर वादीगण का समभाग हिस्से पर कब्जा काश्त है वादीगण द्वारा मौके पर कुछ हिस्से पर टिनसैड व कच्ची झोपडा बना रखी है। आराजी उक्त का मूल आवंटी मुन्शीसिह बैगरा के वारिसान द्वारा जर्ये इकरारनामा विक्रेय किया है मौके पर वादीगण का कब्जा है इसलिए प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण श्रेणी है। यह कहा जा सकता है कि वादीगण आराजी उक्त का जर्ये इकरारनामा कय के आधार पर काबिज है एवं कब्जे काश्त की आराजी है इसलिए यह तनकी भी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

:– जिम्मे वादीगण

तनकी नम्बर 5 :– आया आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. पर प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम के अंकन हो कलमजन करा खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने के अधिकारी है। इस तनकी का भार वादीगण पर है जैसा की तनकी नम्बर 1 लगायत 4 वादीगण के पक्ष मे तय की जा चुकी है यहा यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत महरमपुर तहसील किशनगढबास ग्राम पंचायत मुख्याल महरमपुर दिनांक 01.12.2021 को आयोजित शिविर मे नियमन कमेठी द्वारा भी आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे0 मे से 0.075 हे. पर यदि वादीगण का कब्जा काश्त है तो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार आरजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर वादीगण के पक्ष मे सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश पारित हुए है। प्रकरण मे प्राप्त रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार मौके पर वादीगण समभाग हिस्से पर काबिज है आराजी उक्त जर्ये इकरारनामा दिनांक 17.11.2021 के द्वारा कय की गई है। प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण का है मौके पर कब्जा काश्त है मुताबिक नियमन कमेठी आदेश दिनांक 01.12.2021 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. वाके ग्राम दोहडा तहसील किशगनढबास नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा करा सनद खातेदारी प्रदत्त किया जाना उचित है एवं जैसा नम्बर नम्बर 4 मे वर्णित किया गया है कि साबिक खसरा नम्बर 282मिन एवं 283 मिन का कुल रकबा 0–08 बिस्वा ही गैर. मु. सडक है जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज होना चाहिए जबकी भू. प्रबन्ध के पश्चात तेयार सभी तहत जमाबन्दीयात मे सार्वजनिक निर्माण विभाग पूर्व हिस्से पर दर्ज किया हुआ है आराजी उक्त के 0.075 हे. पर वादीगण का कब्जा काश्त है जर्ये इकरारनामा अवैध हस्तानान्तरण हुआ है इसलिए हम 0.075 हे. तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कलमजन किया जाकर वादीगण को जर्ये सनद खातेदारी अधिकारी प्रदान किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है इसलिए यह तनकी भी वादीगण के पक्ष मे तय की जाती है।

तनकी नम्बर 6:– आया विवादित आराजी उक्त पर वाद वादीगण काबिले खारिज है । इस तनकी का भार प्रतिवादी पर है प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा वाद मे कोई राज्य हित प्रभावित नही होना वर्णित किया है तथा प्रतिवादी सख्या 2 व 3 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके की आवंटित आराजी किसी सक्षम आदेश से आवंटन आवंटी निरस्त हुआ हो। साबिक रिकार्ड मे सार्वजनिक निर्माण विभाग मात्र 08 बिस्वा पर अंकित है इसी अनुसार ही अमल होना चाहिए जबकी पूर्ण रकबे पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का गलत अमल हुआ है जो न्याय एवं

विधि के सिद्वान्तो के खिलाफ हुआ है मूल आवंटी के वारिसान जो वाद मे तर. प्रतिवादीगण है के द्वारा विवादित आराजी का 0.075 हे. वाके ग्राम दोहडा जर्ये इकरारनामा दिनांक 17.11.2021 के द्वारा हस्तानान्तरण हुआ है मौके पर रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार कब्जा काश्त है प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण श्रेणी का है जिसे प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत महरमपुर तहसील किशनगढबास मे आयोजित शिविर दिनांक 01.12.2021 मे नियमन कमेठी द्वारा नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ती जमा करा खातेदारी अधिकार वादीगण को प्रदत्त किये जाने के आदेश पारित किये है। और पैरोकार सरकार ने भी कोई राजहीत प्रभावित नही होना बताया है इसलिए वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाने का अधिकारी है इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

जैसा की उक्त तनकीयात वादीगण के पक्ष मे तय की जा चुकी है। प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 मे आयोजित शिविर दिनांक 01.12.2021 मे भी नियमन कमेठी द्वारा नियमितिकरण शुल्क एंव शास्ती जमा करा खातेदारी अधिकारी प्रदत्त किये जाने आदेशित किया है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज प्रतिवादी सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम के अंकन को 0.075 हे. तक कलमजन किया जाना उचित एवं न्याय संगत समझते है न्याय एवं विधि का सिद्वान्त यही है वाद वादीगण काबिले डिक्री करार पाता है।

अतः आदेश हैः–

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 32 रकबा 0.39 हे. मे से 0.075 हे. वाके ग्राम दोहडा तहसील किशगनढबास समभाग का काबिज काश्तकार खातेदारी घोषित किया जाता है वादीगण आराजी उक्त की राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने पर सनद खातेदारी जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है राशि जर्ये चालान जमा होकर सनद खातेदारी जारी हो। तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज महकमा सार्वजनिक निर्माण विभाग को 0.075 हे. तक कलमजन कर मुताबिक सनद खातेदारी वादीगण के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे अमल किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो। सुनाया गया।

ओमप्रकाश सहारण
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास